अवनीश झिंगन से पहले, जे.

मेसर्स ग्रैफिसड्स पी. वी. टी. सीमित-याचिकाकर्ता

बनाम

2011 का अख्तर और एक अन्य प्रतिवादी एफ. ए. ओ. सं. 6893

05 मई, 2018

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 166-चोट का मामला-जल्दबाजी में और लापरवाही से गाड़ी प्राथमिकी की जिम्मेदारी-मोटर दुर्घटना के दावों में, इस मुद्दे का निर्णय प्रमुखता के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए-दावेदारों को दोषी वाहन की संलिप्तता और जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना साबित करना है-न्यायाधिकरण ने 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ-साथ दोषी वाहन के चालक और मालिक को संयुक्त रूप से और मुआवजे के लिए अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया-दावेदार का बयान जो एम. एल. आर. द्वारा समर्थित नहीं था-इतिहास जैसा कि एम. एल. आर. में उल्लेख किया गया है; सड़क पार करते समय दावेदार दो चार पहिया वाहनों के बीच आ गया और पीठ और पेट के निचले हिस्से में घायल हो गया-दावेदार के बयान के अनुसार उसे उल्लंघन करने वाले वाहन ने मारा था, क्योंकि वह गिर गया था और उसे चोटें आईं इलाज करने वाले डॉक्टर की गवाही को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया - डॉक्टर अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है - चोटों की प्रकृति से वह ऊंचाई से गिरने के कारण चोट लगने की संभावना से इनकार कर सकता है - दावेदार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसने कभी भी आपराधिक गवाही नहीं दी अपने कथन के समर्थन में मामला - अपराधी वाहन का चालक और प्रत्यक्षदर्शी, ट्रिब्यूनल के समक्ष गवाही देने में विफल रहे - आपराधिक मामले में दावेदार और अपराधी वाहन के चालक का ट्रिब्यूनल के समक्ष बयान न देना इसे केवल प्रतिकूल का मामला नहीं बनाता है अनुमान - बल्कि, इस तथ्य की

ओर संकेत करता है कि दोनों ने उचित कार्यवाही में अपनी उपस्थिति से बचकर आसानी से एक-दूसरे की मदद की - इस निष्कर्ष को कायम नहीं रखा जा सकता है कि दावेदार ने यह साबित करने के लिए उस पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि उसे आपत्तिजनक वाहन से जुड़े दुर्घटना में चोटें लगी थीं - मालिक द्वारा अपील अनुमति दी गई - विवादित पुरस्कार रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि अपराधी वाहन की संलिप्तता और लापरवाही से गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी दावेदारों पर है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. ए. सी. टी. की कार्यवाही में दायित्व उतना भारी नहीं है जितना कि आपराधिक कार्यवाही में निर्वहन किया जाना है।मोटर दुर्घटना के दावों में इस मुद्दे का निर्णय प्रमुखता के सिद्धांतों पर किया जाना है।हाथ में मामले में, दावा याचिका के अनुसार, दावेदार के अलावा दुर्घटना के समय दो और व्यक्ति यानी फारूक और सलीम थे।सलीम के लिए अजनबी नहीं थे।

901 मेसर्स ग्रैफिसड्स पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम अख्तर और एक अन्य

(अवनीश झिंगन, जे.)

वे अपीलकर्ता कंपनी के साथ चालक के रूप में काम कर रहे थे।वे एक ही गाँव के रहने वाले थे।

(पैरा 7)

आगे कहा कि दावेदार के बयान के अनुसार उसे उल्लंघन करने वाले वाहन ने टक्कर मार दी थी और टक्कर के परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गया और उसे चोटें आईं।उक्त तथ्य एम. एल. आर. की सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है। एम. एल. आर. में उल्लिखित इतिहास बताता है कि यह सड़क दुर्घटना का इतिहास था।सड़क पार करते समय वह दो चार पहिया वाहनों के बीच आ गया और उसकी पीठ और पेट के निचले हिस्से में चोट लग गई।इसका मतलब यह है कि अस्पताल में दिए गए विवरण के अनुसार, दावेदार को सड़क पार करते समय दो चार पहिया वाहनों के बीच आने पर चोटें आई थीं, न कि अपमानजनक वाहन से टकराने के कारण।

(पैरा 11)

आगे अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण ने उक्त कथन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब डॉ. हिमांशु गर्ग दुर्घटना के समय मौजूद नहीं थे, तो वह कैसे कह सकते हैं कि घायल को दो ट्रकों के बीच सैंडविच किया गया था।डॉक्टर का बयान एम. एल. आर. में उल्लिखित इतिहास के अनुसार होगा। इसके अलावा वह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और चोटों की प्रकृति से वह ऊंचाई से गिरने के कारण चोट लगने की संभावना से इनकार कर सकते हैं।जबकि दावेदार के बयान के अनुसार, वह नीचे गिर गया और घायल होने के कारण उसे उल्लंघन करने वाले वाहन ने टक्कर मार दी।

(पैरा 12)

आगे अभिनिर्धारित कयल गेल जे प्राथमिकी आर. क विषय-वस्तु उपरोक्त बैक ड्रॉपमे महत्व खोबैत अछि।अख्तर के बयान पर प्राथमिकी आर. दर्ज की गई थी, लेकिन उन्होंने प्राथमिकी आर. या ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने बयान का समर्थन करने के लिए कभी भी आपराधिक मामले में गवाही नहीं दी।न्यायाधिकरण ने दावेदार के पक्ष में मुद्दे का फैसला करते हुए कहा कि सलीम के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि वह गवाही देने में विफल रहा।दावा कार्यवाही में सलीम का बयान न देना और आपराधिक कार्यवाही में अख्तर का बयान न देना केवल प्रतिकूल निष्कर्ष का मामला नहीं बनाता है, बल्कि यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि दोनों ने उचित कार्यवाही में अपनी उपस्थिति से बचकर आसानी से एक-दूसरे की मदद की।ऐसी परिस्थिति में, यह कायम नहीं रखा जा सकता है कि अख्तर ने यह साबित करने के लिए उन पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि उन्हें उल्लंघन करने वाले वाहन से जुड़ी दुर्घटना में चोटें आईं।23.07.2011 दिनांकित पुरस्कार को अलग कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है।

(पारस 16,17 और 18)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुल अग्रवाल।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सरफराज हुसैन, अधिवक्ता

अवनीश झिंगन, जे. (मौखिक)

(1) पंजीकरण No.DL-1LB-9301 वाले वाहन का मालिक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, नूंह (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांकित 23.07.2011 के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।

(2) फतेह मोहम्मद के बेटे अख्तर द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की खंड 166 के तहत एक दावा याचिका दायर की गई थी।न्यायाधिकरण ने माना कि अख्तर को एक दुर्घटना में चोटें आईं, जिसमें पंजीकरण वाले वाहन No.DL-1LB-9301 (संक्षेप में 'उल्लंघन करने वाला वाहन') शामिल था।यह भी माना गया कि दुर्घटना दोषी वाहन के चालक सलीम की लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई।6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ रु. 4,65,000 का मुआवजा दिया गया था।उल्लंघनकारी वाहन के चालक और मालिक को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

(3) वर्तमान अपील उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा दायर की गई है, जो न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित है, जिसमें कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले वाहन की संलिप्तता के कारण अख्तर को चोटें आई हैं।अपील में प्रतिवादी संख्या 1 न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार है और प्रतिवादी संख्या 2 उल्लंघनकारी वाहन का चालक है।

(4) दावा याचिका में जिन तथ्यों का अनुरोध किया गया है, वे यह हैं कि अख्तर मेसर्स ग्राफिकैड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ चालक के रूप में काम कर रहे थे।03.04.2008 पर उन्होंने एम. जी. रोड, मार्बल मार्केट, नाथुपुर में प्रदर्शन के लिए No.DL-1LE-9253 पंजीकरण वाला वाहन खड़ा किया था।अपराध करने वाला वाहन भी वहाँ खड़ा था और उसका चालक सलीम-प्रतिवादी नंबर 2 था।लगभग 7 बजेः30 ए. एम. अख्तर और फारूक खान (कथित चश्मदीद गवाह) वाहनों पूर्वाहन पीछे खड़े

थे और एक-दूसरे से बात कर रहे थे।सलीम, हॉर्न बजाए बिना, जल्दबाजी और लापरवाही से उल्लंघन करने वाले वाहन का समर्थन किया।अख्तर ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन अपमानजनक वाहन से टकरा गए, टक्कर के परिणामस्वरूप वह नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।फारूक उन्हें नीलकंठ अस्पताल ले गए।नोटिस पर, दायर किए गए लिखित बयान में, सलीम ने आपत्तिजनक वाहन की संलिप्तता से इनकार किया और दलील दी कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा था।ग्राफिकैड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी लिखित बयान दायर किया गया था।उन्होंने उल्लंघन करने वाले वाहन के स्वामित्व को स्वीकार किया लेकिन दुर्घटना में उल्लंघन करने वाले वाहन की संलिप्तता के तथ्य से इनकार किया।न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार स्वयं पी. डब्ल्यू. 3 के रूप में उपस्थित हुआ और अपना शपथ पत्र Ex.PW3/A के रूप में प्रस्तुत किया। उसने दावा याचिका में की गई दलीलों को दोहराया।सिपाही शेर सिंह ने Ex.P1 को साबित करने के लिए गवाही दी जो 06.04.2008 पर पुलिस स्टेशन प्राथमिकी गुड़गांव में दर्ज की गई थी।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुड़गांव की अदालत में मुकेश कुमार अहलमद से पी. डब्ल्यू. 4 के रूप में पूछताछ की गई क्योंकि सलीम

दुर्घटना करने के लिए उस अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ा और उसके खिलाफ आरोप तय किए गए।डॉक्टर हिमांशु गर्ग, पीडब्लू2, चोटों को साबित करने के लिए अपदस्थ हुए।साक्ष्य पर विचार करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि उल्लंघन करने वाला वाहन दुर्घटना में शामिल था और दुर्घटना उल्लंघन करने वाले वाहन के उतावलेपन और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि उल्लंघन करने वाला वाहन दुर्घटना में शामिल था।तर्क यह है कि दावेदार अधिनियम की खंड 166 के तहत उस पर लगाए गए दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा।

(6) उठाया गया विवाद नीचे बताए गए कारणों के लिए स्वीकार करने योग्य है।

(7) उल्लंघनकारी वाहन की संलिप्तता और लापरवाही से गाड़ी चलाने को साबित करने की जिम्मेदारी दावेदारों पर है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि एम. ए. सी. टी. की कार्यवाही में दायित्व उतना भारी नहीं है जितना कि आपराधिक कार्यवाही में निर्वहन किया जाना है।मोटर दुर्घटना के दावों में इस मुद्दे का निर्णय प्रमुखता के सिद्धांतों पर किया जाना है।हाथ में मामले में, दावा याचिका के अनुसार, दावेदार के अलावा दुर्घटना के समय दो और व्यक्ति यानी फारूक और सलीम थे।सलीम दावेदार के लिए अजनबी नहीं था।वे अपीलकर्ता कंपनी के साथ चालक के रूप में काम कर रहे थे।वे एक ही गाँव के रहने वाले थे।इस बात पर विवाद है कि वे एक-दूसरे से संबंधित थे या नहीं, लेकिन दावेदार ने अपनी जिरह में भी स्वीकार किया कि सलीम एक ही गाँव का था।

(8) एम. एल. आर. के पीछे सलीम और फारूक ने कहा है कि वे नहीं चाहते कि पुलिस मामला दर्ज किया जाए।दोनों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और उनके मोबाइल नंबर भी नोट किए गए हैं।सलीम के हस्ताक्षर पर उनका उल्लेख अख्तर के भतीजे (बथिजा) के रूप में किया गया है।हालाँकि उनके रिश्ते को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, फिर भी वे अजनबी नहीं थे।

(9) इसके बावजूद, दायर किए गए अपने लिखित बयान में, उन्होंने लापरवाही से गाड़ी चलाने और उल्लंघन करने वाले वाहन की संलिप्तता से इनकार किया।इतना ही नहीं, उन्होंने कभी भी गवाहों के बक्से में कदम नहीं रखा।

(10) दावेदार के बयान के अनुसार, उसे अख्तर द्वारा अस्पताल ले जाया गया था जो दुर्घटना का कथित चश्मदीद गवाह था।इस तथ्य का विधिवत समर्थन चिकित्सा-कानूनी रिपोर्ट (एम. एल. आर.) की सामग्री द्वारा किया जाता है जिसमें कहा गया है कि घायल को फारूक (चचेरा भाई) द्वारा लाया गया था।सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, दावेदार द्वारा फारूख से भी पूछताछ नहीं की गई थी।दो सबसे अच्छे उपलब्ध गवाह सामने नहीं आए थे।

(11) दावेदार के बयान के अनुसार उसे हमलावर वाहन ने टक्कर मार दी थी।

वाहन को नुकसान पहुँचाते हुए और टक्कर के परिणामस्वरूप, वह नीचे गिर गया और घायल हो गया।उक्त तथ्य एम. एल. आर. की सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है। एम. एल. आर. में उल्लिखित इतिहास बताता है कि यह सड़क दुर्घटना का इतिहास था।सड़क पार करते समय वह दो चार पहिया वाहनों के बीच आ गया और उसकी पीठ और पेट के निचले हिस्से में चोट लग गई।इसका मतलब यह है कि अस्पताल में दिए गए विवरण के अनुसार, दावेदार को सड़क पार करते समय दो चार पहिया वाहनों के बीच आने पर चोटें आई थीं, न कि अपमानजनक वाहन से टकराने के कारण।

(12) इस स्तर पर डॉ. हिमांशु गर्ग-पीडब्लू2 का बयान महत्वपूर्ण है।अपने बयान में यह कहा गया है कि दावेदार को दो वाहनों के बीच सैंडविच किया गया था और श्रोणि, एल 3 और एल 4 कशेरुका की अनुप्रस्थ प्रक्रिया में कई फ्रैक्चर हुए थे।इसके अलावा, डॉ. हिमांशु गर्ग ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि ऊंचाई से गिरने से ऐसी चोट लगने की संभावना नहीं है।ट्रिब्यूनल ने उक्त बयान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब डॉ. हिमांशु गर्ग दुर्घटना के समय मौजूद नहीं थे, तो वह कैसे कह सकते थे कि घायल को दो ट्रकों के बीच सैंडविच किया गया था।डॉक्टर का बयान एम. एल. आर. में उल्लिखित इतिहास के अनुसार होगा। इसके अलावा वह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और चोटों की प्रकृति से वह ऊंचाई से गिरने के कारण चोट लगने की संभावना से इनकार कर सकते हैं।जबकि दावेदार के बयान के अनुसार, वह नीचे गिर गया और घायल होने के कारण उसे उल्लंघन करने वाले वाहन ने टक्कर मार दी।

(13) न्यायाधिकरण ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय इस तथ्य पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि सलीम दुर्घटना के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था और उसने पुलिस द्वारा अपने निहितार्थ के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी।ट्रिब्यूनल के अनुसार इसका मतलब था कि वह जांच से संतुष्ट थे।यह मुद्दा इतना सीधा नहीं लगता है।

(14) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुड़गांव दिनांक 07.06.2014 के आदेश प्रस्तुत किए हैं।वही नीचे उद्धृत किया गया हैः

"कोई पीडब्लू मौजूद नहीं है।अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त अवसरों का लाभ उठाया गया है, लेकिन अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य को समाप्त करने में विफल रहा है।इसलिए, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अदालत के आदेश से बंद कर दिया जाता है।

अभियुक्त अपराध शाखा 313 के अंतर्गत का बयान दर्ज करने के लिए 1.7.2014 पर आना।

(15) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुड़गांव द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश भी पेश किया गया जिसमें सलीम को उचित संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।

दावेदार/घायल अर्थात अख्तर ने आपराधिक न्यायालय के समक्ष कभी गवाही नहीं दी।दावेदार और प्रतिवादी संख्या 2 एक ही गाँव के थे और एक ही कंपनी में कार्यरत थे।यह एक संयोग होना अजीब बात है कि प्रतिवादी संख्या 2 न्यायाधिकरण के समक्ष गवाह बॉक्स में कदम नहीं रखने का विकल्प चुनता है और दावेदार आसानी से आपराधिक कार्यवाही में अपने गवाह से बच जाता है।यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें अख्तर को आपराधिक कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं थी।अपनी जिरह में, वह कहता है कि "2008 की प्राथमिकी संख्या 89 गुड़गांव की अदालत में जारी है।मुझे गुड़गांव में उपरोक्त मामले में कुछ महीने पहले बुलाया गया था।मुझे मामले में अपना साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुझे महीना और तारीख याद नहीं है।माननीय न्यायाधीश का नाम नरिंदर कुमार हो सकता है।"

(16) उपरोक्त बैक ड्रॉप में प्राथमिकी आर. की सामग्री का महत्व कम है।अख्तर के बयान पर प्राथमिकी आर. दर्ज की गई थी, लेकिन उन्होंने प्राथमिकी आर. या ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने बयान का समर्थन करने के लिए कभी भी आपराधिक मामले में गवाही नहीं दी।

(17) न्यायाधिकरण ने दावेदार के पक्ष में मुद्दे का फैसला करते हुए कहा कि सलीम के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा क्योंकि वह गवाही देने में विफल रहा।दावा कार्यवाही में सलीम का बयान न देना और आपराधिक कार्यवाही में अख्तर का बयान न देना केवल प्रतिकूल निष्कर्ष का मामला नहीं बनाता है, बल्कि यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि दोनों ने उचित कार्यवाही में अपनी उपस्थिति से बचकर आसानी से एक-दूसरे की मदद की।

(18) ऐसी परिस्थिति में, यह कायम नहीं रखा जा सकता है कि अख्तर ने यह साबित करने के लिए उन पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि उन्हें उल्लंघन करने वाले वाहन से जुड़ी दुर्घटना में चोटें आईं।

(19) 23.07.2011 दिनांकित पुरस्कार को निरस्त कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है।

—----------

V.Suri

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

दिव्या रानी